सं0 1099/आ.प./2011 10-8-11

संख्या: 2136/आठ–1–2011–09 जी0डी0ए0/11

प्रेषक,

आलोक कुमार
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. आवास आयुक्त,,
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।
2. उपाध्यक्ष
समस्त विकास प्राधिकरण, उ0प्र0।
3. अध्यक्ष/सचिव,
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उ0प्र0।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1 लखनऊ : दिनांक :08 अगस्त, 2011

विषय:– भवन निर्माण/विकास अनुज्ञा प्रदान करते समय लिये जाने वाले विकास शुल्क की धनराशि अवस्थापना निधि से अलग रखे जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के पत्र सं0–431/4/सी0ई0/2010–11, दिनांक 15.01.2011 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त पत्र द्वारा प्रकरण में शासन को यह प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है कि विकास प्राधिकरण की योजनाओं के बाहर के क्षेत्र में मानचित्र स्वीकृत करते समय प्राप्त की गयी विकास शुल्क तथा सुदृढ़ीकरण शुल्क की धनराशि को सम्बन्धित क्षेत्रों में विकास कार्यों पर व्यय करने हेतु अवस्थापना निधि में जमा न कराया जायँ और इसका उपयोग तत्सम्बन्धी क्षेत्र के लिए उपलब्ध करायी जाने वाली सेवाओं हेतु उपाध्यक्ष स्तर से स्वीकृति प्राप्त कर किया जाय।

2– उक्त प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त यह उपयुक्त पाया गया है कि प्रश्नगत धनराशि को अवस्थापना निधि के खाते में ही जमा किया जाय परन्तु उसका लेखा–जोखा अलग से रखा जाय और उससे उपाध्यक्ष स्तर पर सम्बन्धित क्षेत्र में विकास कार्य स्वीकृत कर कराया जाय तथा समय–समय पर ऐसी धनराशि के उपयोग से अवस्थापना निधि के संचालन हेतु मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति को भी अवगत कराया जाय।

भवदीय

आलोक

(आलोक कुमार)
सचिव